



क्र.प्रशा./स्था./आदेश/2024/34

दिनांक: 10.04.2024

आदेश/ Order

पहले जारी किए गए सभी आदेशों के अधिक्रमण में, संस्थान के सभी संकाय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि किसी भी अन्य संस्थान में किसी भी शिक्षण/शैक्षणिक कार्य को स्वीकार करने से पहले निदेशक से पूर्वानुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाए। किसी भी अन्य संस्थान में कोई भी शैक्षणिक गतिविधि निदेशक के अनुमोदन के बिना नहीं की जाए।

In supersession to all orders issued earlier, it is to inform all the faculty members of the institute that prior approval shall mandatorily be sought from the Director before accepting any teaching/academic assignment in any other institute. No academic activity in any other institute shall be undertaken without such approval.


यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This is issued with the approval of Competent Authority.

कुलसचिव/Registrar

प्रतिलिपि/Copy to:

1. संकायाध्यक्ष (संकाय कल्याण) / Dean (Faculty Welfare)
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं केंद्राध्यक्ष/All HoDs and HoCs - यह आदेश अपने विभाग/केंद्र में प्रसारित करने हेतु/For Circulation of order in respective department/Centre
3. उप कुलसचिव (स्थापना) /Deputy Registrar (Establishment)
4. प्रभारी वेबसाइट/In charge Website- आदेश वेबसाइट पर अपलोड हेतु/ For upload of the order on the website
5. निदेशक के निज सचिव/PA to the Director - निदेशक को सूचनार्थ/for kind information of the Director
6. कुलसचिव के निज सचिव/PA to the Registrar - अभिलेख हेतु/for record
7. गार्ड फ़ाइल/Guard File


कुलसचिव/Registrar
10/04/2024